संख्या- 137 /2025/ 1053 /चार-2025-1911224

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2025

विषय- जनपद मैनपुरी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिन्दू नववर्ष के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-6083/सं0नि0-15(152)/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिन्दू नववर्ष के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में शासनादेश संख्या- 106 /2025/ 930 /चार-2025-1911224 दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत रू0 6.65 लाख की स्वीकृति के संबंध में रू0 12.80 लाख का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। संस्कृति निदेशालय द्वारा पूर्व प्रेषित प्रस्ताव रू0 6.65 लाख के अतिरिक्त निम्नानुसार अतिरिक्त व्यय विवरण उपलब्ध कराया गया है:-

क्रमांक	**दल का नाम**	**विधा**	**दल में कलाकारों की संख्या**	**मानदेय (यात्रा व्यय सहित)**
1.	श्री कृष्णा शर्मा, नागपुर	शंख वादन	21	70,000.00
2.	श्री शुभम मिश्रा, वाराणसी	डमरू वादन	15	1,00,000.00
			योग (रूपये एक लाख सत्तर हजार मात्र)	**1,70,000.00**

उक्त के अतिरिक्त नागपुर एवं वाराणसी के लगभग 60 कलाकारों के आवास, भोजन एवं स्थानीय स्तर पर यातायात की व्यवस्था पर निम्नवत अनुमानित व्यय विवरण का उल्लेख किया गया है:-

क्र0	कार्य	धनराशि
1	कलाकारों हेतु आवास एवं भोजन पर व्यय	3,50,000.00
2	कार्यक्रम स्थल पर कलाकारों हेतु सूक्ष्म जलपान एवं पानी इत्यादि पर व्यय	50,000.00
3	कलाकारों हेतु स्थानीय यातायात पर व्यय	45,000.00
	योग (रूपये चार लाख पैतालिस हजार मात्र)	**4,45,000.00**

उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्रेषित प्रस्तावित धनराशि रूपये 6,65,000.00 के अतिरिक्त प्रश्नगत आयोजन पर निम्नानुसार अनुमानित व्यय से अवगत कराया गया है:-

क्र0	मद	धनराशि
1	कलाकारों के मानदेय पर व्यय (दो अतिरिक्त दल)	1,70,000.00
2	कलाकारों हेतु आवास एवं भोजन पर व्यय	3,50,000.00
3	कार्यक्रम स्थल पर कलाकारों हेतु सूक्ष्म जलपान एवं पानी इत्यादि पर व्यय	50,000.00
4	कलाकारों हेतु स्थानीय यातायात पर व्यय	45,000.00
	योग (रूपये छः लाख पन्द्रह हजार मात्र)	**6,15,000.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त जनपद मैनपुरी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिन्दू नववर्ष के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु **रू0 6.15 लाख (रूपये छः लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

जनपद मैनपुरी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिन्दू नववर्ष के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु

3. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध :-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 13-आजादी का अमृत काल महोत्सव- 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 137/2025/ 1053 (1)/ चार-2025-1911224, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।